

संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2015 को विनिर्माता/विपणन कीटनाशी कंपनियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

संचिका नं०-9/उपा० कीट०-53/2012

बैठक में उपस्थित :-

1. श्री धनन्जयपति त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना,
2. श्री प्रभात कुमार, संयुक्त निदेशक (पौ० सं०) बिहार, पटना,
3. श्री एस० एन० मल्लिक, सहायक कृषि निदेशक, सर्वेलेन्स (मुख्यालय) बिहार, पटना,
4. श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (सां०) मुख्यालय, बिहार, पटना।
5. मेसर्स अरिहन्त इन्टरनेशनल लि०, श्री ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक
6. मेसर्स अनु प्रोडक्ट्स लि०, श्री वी० के० शर्मा,
7. मेसर्स अलखनन्दा एग्रो केमिकल्स प्रा० लि० श्री कोशलेंद्र कुमार, प्रबंधक
8. मेसर्स एरिस्टा लाइफ साइन्स इण्डिया लि०, श्री दीपक कुमार,
9. मेसर्स बायर क्रॉप साइन्स लि०, श्री पी० के० सिंह
10. मेसर्स भारत इन्सेक्टीसाइड्स लि०, श्री नरेश कुमार
11. मेसर्स बिहार मिनरल इण्डस्ट्रीज लि०, श्री निरज कुमार
12. मेसर्स भारत एग्रोकेम, इन्डस्ट्रीयल एरिया, श्री संजय कुमार सिंह, पार्टनर
13. मेसर्स कोरोमंडल इन्टरनेशनल लि०, श्री के० के० तिवारी
14. मेसर्स क्रॉप लाइफ साइन्स लि० श्री घनश्याम चौरसिया, एस० ओ०
15. मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा० लि०, श्री रजनीश किरण,
16. मेसर्स केमिनोवा इन्डिया लि०, श्री संतोष कुमार, ऑफिस एसिस्टेंट
17. मेसर्स दयाल बायोटेक प्रा० लि०, श्री राकेश सिंह,
18. मेसर्स धानुका एग्रीटेक ऑरगेनिक्स, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह,
19. मेसर्स फंटियर एजेंसिज प्रा० लि०, श्री भूषण, गोदाम इन्चार्ज
20. मेसर्स ग्लोबल एग्रो केमिकल्स गढ़ीरामपुर, श्री अक्षय कुमार,
21. मेसर्स हिन्दुस्तान कृषि रसायन, श्री विकास कुमार, प्रबंधक
22. मेसर्स हिन्दुस्तान पलवराइजिंग मिल्स, श्री उमेश कुमार, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक
23. मेसर्स हरनवा इन्डस्ट्रीज लि०, श्री वि० के० सिंह, प्रबंधक, पटना
24. मेसर्स हिन्दुस्तान बायोटेक एण्ड केमिकल्स, श्री पी०के०वर्मा०
25. मेसर्स इण्डोफिल इण्डस्ट्रीज लि०, श्री श्रीराम सिंह
26. मेसर्स इंसेक्टिसाइड इंडिया लि०, श्री रविन्दर कुमार सिंह
27. मेसर्स इसाग्रो (एशिया) केमिकल्स प्रा० लि०, कुमार शशांक भूषण,
28. मेसर्स जे०यू०पेस्टिसाइड एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०, श्री संजिव कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक
29. मेसर्स जय श्री रसायन उद्योग लि०, श्री रंजीत कुमार, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक
30. मेसर्स कर्नाटका एग्रो केमिकल्स लि०, श्री प्रेमरंजन सिन्हा
31. मेसर्स खुबलाल एग्रो० प्रा० लि०, श्री गणेश प्रसाद, रसायनज्ञ
32. मेसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, श्री संजय सिंह
33. मेसर्स अदामा इण्डिया लि०, श्री सुशील तिवारी
34. मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, श्री पी०के० राय, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक
35. मेसर्स मारगोशा बायोग्रो (इण्डिया) प्रा० लि०, श्री ए०के० राय
36. मेसर्स नागार्जुन एग्रीकेम लि०, श्री संजीव कुमार राय
37. मेसर्स ऑरटेक्ट औरगेनिक प्रा० लि० मुजफ्फरपुर, डी०एस०प्रसाद

38. मेसर्स प्रभात फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स पटना, डा0 एस0के0त्रिपाठी, आर0एस0एम0
39. मेसर्स पारिजात इण्डस्ट्रीज(इण्डिया) प्रा0 लि0, श्री नन्दी शर्मा, सेल्स एजक्यूटिव
40. मेसर्स प्लान्ट रेमिडिज प्रा0 लि0, हाजीपुर, श्री गोपाल भलोटिया
41. मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर, पटना, श्री मनीष कुमार वर्मा
42. मेसर्स सदगुरु एग्री इनपुट प्रा0 लि0, श्री सर्वेश कुमार विश्वकर्मा
43. मेसर्स स्वास्तिक क्रॉप केयर लि0, श्री उपेन्द्र कुमार
44. मेसर्स टाटा केमिकल्स लि0, डा0 ए0के0 उपाध्याय
45. मेसर्स ट्रॉपिकल एग्री सिस्टम इण्डिया, श्री संजय चौधरी
46. मेसर्स यूनाइटेड फास्फोरस लि0, श्री पी0 के0 सिन्हा
47. मेसर्स सिजेन्टा इण्डिया लि0, श्री वेद प्रकाश

बैठक की कार्यवाही :-

1. सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व की बैठक में दिये गये निदेश का पालन नहीं किया गया है, इसपर खेद प्रकट किया गया। जिस कम्पनी/विपणकर्ता के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हैं, उनके स्पष्टीकरण की मांग जाय।

(अनुपालन:-संयुक्त निदेशक, (सांख्यिकी) मुख्यालय-सह-प्रभारी कीटनाशी अनुज्ञप्ति)

2. वर्ष 2015 के अन्तर्गत 10 विनिर्माण कम्पनियों एवं 66 विपणन कम्पनियों का नवीकरण किया जाना है। जिसमें 2 विनिर्माता कम्पनियों एवं 27 विपणन कम्पनियों से नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हो सका है। इस संदर्भ में जिन कम्पनियों से नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें दिनांक 31.03.2015 तक नवीकरण हेतु आवेदन निश्चित रूप से समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।
3. प्रत्येक माह विनिर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों की मासिक बैठक की जाती है तथा प्रत्येक माह में कम्पनी के प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के साथ मासिक प्राप्ति एवं वितरण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया जाता है परन्तु कई कम्पनियों से मासिक प्राप्ति एवं वितरण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है। इस संदर्भ में विनिर्माण/विपणन कम्पनियों को मासिक बैठक में भाग लेने के साथ मासिक प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। मासिक प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में नवीकरण पर विचार नहीं करने पर सहमति प्रदान किया गया।
4. दिनांक 12.02.2015 को विनिर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों को यह निदेश दिया गया था की वे किस डीलर को कितना कीटनाशी वितरण किया गया हैं। इस संदर्भ में जिलावार/विक्रेतावार प्राप्ति, बिक्री/भंडारण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु विनिर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के फलस्वरूप पुनः प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।
5. कई कम्पनियों द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने के दरम्यान धारा-33 की छायाप्रति समर्पित किया जाता है। इस संदर्भ में विनिर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों को धारा-33 से सम्बन्धित शपथ-पत्र मूल रूप संलग्न करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि विनिर्माता के प्रबंध निदेशक का नाम एवं पता भी उपलब्ध करायेंगे।
6. विनिर्माता कम्पनियों को माप-तौल/प्रदुषण/अग्निशामक से संबंधित प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।
7. कीटनाशी कम्पनियों का अनुज्ञप्ति नवीकरण करते समय चेकलिस्ट के अनुसार कगजात की कमी रहने के पश्चात कागजात की मांग की जाती है परन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात भी कम्पनियों से कागजात प्राप्त नहीं होता है, फलस्वरूप नवीकरण का कार्य लम्बित रह जाता है। अतः निदेश

दिया गया कि जिस विनिर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कागजात प्राप्त नहीं होता है, उन्हें नवीकरण सम्बन्धित अभ्यावेदन अस्वीकृत कर दिया जाय।

8. कीटनाशी विपणन कम्पनियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने कम्पनी का जिलावार नेटवर्क/अधिकृत विक्रेताओं का सूची निदेशालय को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिकृत विक्रेताओं के विपणन में प्रोपराइटर का नाम, पूर्ण पता, एवं मोबाइल नं० का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

(अनुपालन:- कंडिका-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)

9. सहायक निदेशक, सर्वेलेन्स मुख्यालय, बिहार, पटना को निदेशित किया गया कि अगली मासिक बैठक में यह समीक्षा कर बतायेगे कि किन-किन कम्पनियों से बिक्री/भंडारण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में माह फरवरी, 2015 का प्राप्त हुआ है। बैठक के पूर्व ही समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी के ई मेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

P. P. Patil
18/3/2015
(धनन्जयपति त्रिपाठी)

संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-9/उपा०कीट०-53/2012 1396/कृ०, पटना, दिनांक, 19 मार्च, 2015

प्रतिलिपि:- बिहार राज्य स्थित सभी विनिर्माता/विपणन कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

P. P. Patil
18/3/15
संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-9/उपा०कीट०-53/2012 1396/कृ०, पटना, दिनांक, 19 मार्च 2015

प्रतिलिपि:- संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (पौ०सं०) बिहार, पटना/ सहायक निदेशक(सां०)-सह-प्रभारी कीटनाशी अनुज्ञप्ति, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी -9 /श्री अजय कुमार/ श्री निर्भय कुमार सिंह, सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना, मीठापुर से अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी कीटनाशी विपणन/विनिर्माता कम्पनीयों को अपने स्तर से ई-मेल से बैठक की कार्यवाही की प्रति भेजा जाय।

P. P. Patil
18/3/2015
संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-9/उपा०कीट०-53/2012 1396/कृ०, पटना, दिनांक, 19 मार्च, 2015

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

P. P. Patil
18/3/15
संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-9/उपा०कीट०-53/2012 1396/कृ०, पटना, दिनांक, 19 मार्च, 2015

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

P. P. Patil
18/3/15
संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।